

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/ 2020/458

दिनांक:- 24/08/2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित विभिन्न आवासीय योजनाओं में अधिशेष निर्मित आवासों/फ्लैटों/दुकानों को त्वरित गति से निस्तारण करने के लिए लागत में राहत प्रदान करने हेतु मण्डल की समस्त योजनाओं में ई-ऑक्शन/बुधवार नीलामी के पश्चात् शेष बचे आवासों/फ्लैटों/दुकानों जिनको ई-बिड-सबमिशन में सम्मिलित किया गया था। उन सभी अधिशेष निर्मित आवासों/फ्लैटों/दुकानों जिनकी लागत वैधता दिनांक 30-06-2021 तक निर्धारित की गयी थी। उनकी वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्धारित की गयी लागत दरों को कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों के मद्देनजर रखते हुए सभी निर्मित अधिशेष आवासों/फ्लैटों/दुकानों की लागत वैधता कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/2021/267 दिनांक 15-07-2021 के द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक स्थिर की गयी थी।

मण्डल के संचालक मण्डल की 247 वीं बैठक दिनांक 04-08-2021 में निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संख्या 247.25 रखा गया। बैठक में प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल के निर्मित अधिशेष आवासों/फ्लैटों/दुकानों जिनको आमजन को किराया क्रय पद्धति में आवंटन/निस्तारण हेतु ई-सबमिशन/बुधवार नीलामी उत्सव में सम्मिलित किया गया था उनमें से शेष बचे निर्मित आवासों/फ्लैटों/दुकानों की लागत 30-09-2021 तक स्थिर करने हेतु लिए गये निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(पवन अरोड़ा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत-..... राजस्थान आवासन मण्डल,
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., रा0आ0म0,
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

(संयुक्त)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक